संख्या-110-प्रो0/51-2011-20(52)/2010

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय(प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2011

विषय :- उ0 प्र0 राज्य अतिथि नियमावली 2011

महोदय,

उ0 प्र0 राज्य अतिथि नियमावली, 1961 को अतिक्रमित कर दिया गया है। नवीन उ0 प्र0 राज्य अतिथि नियमावली, 2011 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नियमावली 2011 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार प्रदेश में पधारने वाले महानुभावों के प्रवास, भोजन व परिवहन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त उ0 प्र0 राज्य अतिथि नियमावली, 2011 तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
सचिव।

संख्या-110(1)-प्रो0/51-2010-11(31)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उ0 प्र0 राज्य अतिथि नियमावली 2011 की निम्नवत संलग्न प्रतियों आवश्यकतानुसार सम्बन्धित के मध्य वितरित कराने का कष्ट करें :-

1- स्थानिक आयुक्त, उ0 प्र0 नयी दिल्ली (मुख्यतः नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के विभागों/आयोगों एवं अन्य राज्यों के स्थानिक आयुक्तों के मध्य वितरित करने के निमित्त) - 200 प्रतियाँ।

-2-

2- निबन्धक, मा० उच्चतम न्यायालय, नयी दिल्ली - 5 प्रतियाँ।
3- निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
4- कार्यालय महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
5- राज्य सम्पत्ति विभाग, उ० प्र० शासन।
6- विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उ० प्र०।
7- राज्यपाल सचिवालय, उ० प्र०।
8- अपर पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना)।
9- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ० प्र०।
10- निजी सचिव, मुख्य सचिव/कैबिनेट सचिव, उ० प्र०।
11- पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा/रेलवे अपराध एवं सुरक्षा), उ० प्र०।
12- व्यवस्थाधिकारी, उ० प्र० सदन, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(नवनीत सहगल)
सचिव।

केवल शासकीय कार्य हेतु

उत्तर प्रदेश

राज्य अतिथि नियमावली, 2011

प्रोटोकाल अनुभाग

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य अतिथियों और राज्य में पधारने वाले अन्य विशिष्ट आगन्तुकों के लिये भोजन, आवास और परिवहन की व्यवस्था के संबंध में नियमावली

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली 2011 कहलायेगी।

(2) श्रेणी 1 में दिये गये नियम केवल उन व्यक्तियों पर लागू होंगे, जिन्हें इस नियमावली के अधीन शासकीय/निजी कार्य से पधारने पर "राज्य अतिथि" माना जायेगा।

(3) अन्य किसी भी महानुभाव को उत्तर प्रदेश में शासकीय/अशासकीय कार्यवश पधारने पर राज्य अतिथि घोषित किया जाना राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगा।

(4) श्रेणी-3 उन व्यक्तियों के लिए हैं जो श्रेणी-1 व 2 में नहीं आते हैं।

श्रेणी - 1

2-- (1) निम्नलिखित महानुभावों को प्रदेश भ्रमण के दौरान शासकीय/निजी कार्य से पधारने पर राज्य अतिथि माना जायेगा।

(1) राष्ट्रपति।
(2) उप राष्ट्रपति।
(3) प्रधान मंत्री
(4) अन्य राज्यों के राज्यपाल तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल

(2) निम्न महानुभावों को शासकीय कार्य से प्रदेश में पधारने पर राज्य अतिथि माना जायेगा।

(1) भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति / न्यायमूर्तिगण।
(2) अन्य राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तिगण।/न्यायमूर्तिगण।
(3) लोकसभाध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ राज्य सभा के सभापति।
(4) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्रीगण।
(5) अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रीगण।
(6) भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष/ सदस्य।
(7) राज्यसभा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष।
(8) भारत सरकार व अन्य राज्यों के मंत्रिमण्डलीय सचिव।
(9) भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति।
(10) मुख्य निर्वाचन आयुक्त/ निर्वाचन आयुक्त, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग।
(11) केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त।

श्रेणी -2

(3) अन्य किसी भी महानुभाव को उत्तर प्रदेश में शासकीय/अशासकीय कार्यवश पधारने पर राज्य अतिथि घोषित किया जाना राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगा।

श्रेणी -3

(4) उक्त श्रेणी -1 व श्रेणी-2 के अतिरिक्त, यदि अन्य कोई महानुभाव प्रदेश में पधारता है अथवा प्रदेश सरकार का कोई विभाग किसी महानुभाव की व्यवस्था हेतु प्रोटोकाल विभाग से अनुरोध करता हे तो राज्य सरकार उसको अतिथि मानकर उसके प्रवास, भोजन व परिवहन की व्यवस्था भुगतान के आधार पर करने पर विचार कर सकती है। उक्त व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं अतिथि द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा।

3- (1) **'तीर्थ स्थानों' की यात्रा के प्रयोजनार्थ राज्य में आने वाले महानुभाव को राज्य अतिथि नहीं माना जायेगा सिवाय उस दशा में जब तक राज्य सरकार न चाहें। ऐसे महानुभाव की व्यवस्था भुगतान पर की जायेगी।**

(2) लोकसभा/विधानसभा/प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव/पंचायत चुनाव इत्यादि के दौरान चुनाव /उप चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि तक अधिसूचना में प्रतिबन्धित महानुभावों को राज्य अतिथि की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

4-- (1) राज्य अतिथि के निकटतम पारिवारिक सदस्यों(जिनकी अधिकतम संख्या राज्य अतिथि को सम्मिलित करते हुए चार से अधिक न हो) को भी, जो उनके साथ में हों, राज्य अतिथि माना जायेगा। अन्य सदस्यों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, यदि अपेक्षित हो, संदाय के आधार पर की जायगी।

(2) किसी राज्य अतिथि के परिवार के सदस्य के लिये राज्य अतिथि के आगमन के पूर्व या उसके प्रस्थान करने के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये अपेक्षित भोजन और आवास का प्रबन्ध संदाय के आधार पर किया जायगा।

(3) राज्य अतिथि के साथ में वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग जैसे कि निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, इत्यादि के लिये भी आवास और भोजन का प्रबन्ध किया जा सकता है तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन उस लेखा शीर्षक के नामे डाला जायगा, जिसमें राज्य अतिथियों से संबंधित व्यय डाला जाता है।

(4) राज्य अतिथि के साथ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा निजी सेवकों के लिये, जिनकी कुल संख्या तीन से अधिक न हो, उपयुक्त भोजन तथा आवास की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी।

(5) प्रतिदिन भोजन और ईधन तथा खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में प्रति राज्य अतिथि व्यय साधारणतया रू0 300/- से अधिक न होगा। किन्तु राज्य सरकार विशेष मामलों में इस सीमा को शिथिल कर सकती है।

(6) यदि राज्य अतिथि किसी अतिथि को भोजन के लिये आमंत्रित करें तो राज्य अतिथि के मध्यान्ह भोजन या रात्रि के भोजन के लिये रू0 48.00 और कलेवा या अपरान्ह की चाय के लिये रू0 24.00 की दर से व्यय लिया जायेगा।

5-- (1) राज्य सरकार के लखनऊ स्थित मुख्यालय में आने वाले राज्य अतिथियों के लिए आवास, भोजन व परिवहन आदि का प्रबन्ध राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ में स्थित एम0जी0 मार्ग/मीराबाई मार्ग/डालीबाग स्थित अति विशिष्ट गृह/अतिथि गृह में आवश्यकतानुरूप किया जाएगा।

(2) लखनऊ में आवास के आरक्षण के लिये, जब आवास अपेक्षित हो, तो उससे कम से कम एक सप्ताह पूर्व राज्य सम्पत्ति अधिकारी, विधान भवन, लखनऊ को संबोधित किया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश में लखनऊ से भिन्न किसी अन्य जिले के मुख्यालय में जाने की दशा में राज्य अतिथियों के लिये आवास की व्यवस्था सामान्यतया सर्किट हाउस या निरीक्षणगृह में जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

6- किसी राज्य अतिथि के लिये भ्रमण की सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व शासन एवं संबंधित जिला अधिकारी को अवश्य दी जानी चाहिए।

7— ऐसे स्थानों में, जहां कोई अतिथि गृह सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य उपयुक्त सरकारी भवन विद्यमान न हों, अथवा राज्य अतिथि के रहने लायक न हो अथवा इन भवनों में जहां वे विद्यमान हों, कोई आवास उपलब्ध न हो, तो अतिथियों के लिये भोजन और आवास का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किसी प्रथम श्रेणी के होटल में या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर किया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।

8-- वह अवधि जब तक के लिये किसी अतिथि को राज्य अतिथि माना जायेगा, साधारणतया चार दिन से अधिक न होगी, किन्तु असाधारण मामलों में राज्य सरकार किसी अतिथि को अपेक्षाकृत लम्बी अवधि तक के लिये राज्य अतिथि मानने का विनिश्चय कर सकती है।

9— अतिथि गृह, सर्किट हाउस या निरीक्षण गृह में फर्नीचर या अन्य वस्तुओं को अतिथि के सेवकों द्वारा की गयी कोई क्षति या टूट फूट के उत्तरदायित्व के संबंध में यह आशा की जाती है कि राज्य अतिथि उसका वहन करेंगे। अतिथि गृह, सर्किट हाउस या निरीक्षण गृह का प्रभारी अधिकारी इस सम्बन्ध में वसूल की जाने वाली धनराशि का विनिश्चय करेगा।

10-- अतिथि गृह,सर्किट हाउस या निरीक्षण गृह के टेलीफोन से उसके प्रभारी अधिकारी की जानकारी के बिना कोई ट्रंक-टेलीफोन काल नहीं की जायेगी। अतिथि किसी भी ऐसी काल के बारे में जो वह करें इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे। ट्रंक काल के सम्बन्ध में समस्त व्यय का भुगतान तत्संबंधी बिल प्राप्त होने पर अतिथि द्वारा किया जायेगा।

11-- (1) किसी राज्य अतिथि को शासन/प्रशासन द्वारा केवल जिला मुख्यालय के भीतर की जाने वाली स्थानीय यात्राओं के लिये मोटर गाड़ी की, यदि अपेक्षित हो, व्यवस्था की जायेगी। राज्य अतिथि, उनके साथ के पारिवारिक सदस्यों, पदाधिकारियों, चतुर्थ श्रेणी के तथा निजी सेवकों के लिये और सामान को हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से ठहरने के स्थान तक ले जाने और वापसी जाने के लिये भी ऐसी गाड़ियों की, जैसी आवश्यक हो, व्यवस्था की जायेगी।

(2) उपर्युक्त से भिन्न अन्य यात्राओं के लिये परिवहन का प्रबन्ध यदि अपेक्षित हो, संदाय के आधार पर किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि भारत के अन्य राज्यों के प्रमुखों तथा मुख्य मंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों, संसद में नेता विरोधी दल के शासकीय दौरे पर जाने की दशा में जिला मुख्यालय से बाहर की यात्राओं के लिये भी परिवहन का निःशुल्क प्रबन्ध किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि भारत के अन्य राज्यों के प्रमुखों के आगमन की दशा में उनके निजी भ्रमण के लिये भी परिवहन का निःशुल्क प्रबन्ध किया जायेगा।

12— ऐसे राज्य अतिथियों से, जिन्हें लखनऊ पहुंचने पर परिवहन की सुविधायें अपेक्षित हों, यह आशा की जाती है कि वे अपने आगमन के सम्बन्ध में समय, रेल या वायुयान और स्टेशन आदि का पूरा विवरण पहले से ही राज्य सम्पत्ति अधिकारी को भेज दें। राज्य सम्पत्ति अधिकारी, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर अतिथियों को लेने के लिये कार या अन्य उपयुक्त सवारियों का प्रबन्ध करेगा। किन्तु मंत्रियों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति बरते जाने वाले शिष्टाचार (जिसमें स्वागत सम्मिलित है) संबंधी अनुदेशों के उपबन्धों पर इन नियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13— राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा कारों का प्रबन्ध किये जाने की दशा में कार दिये जाने की शर्तें वहीं होंगी जो सचिवालय के स्टाफ कारों के प्रयोग करने पर लागू होती है और जो एक पृथक नियमावली में विनियमित होती है। ऐसी दशा में, जहां टैक्सियों का प्रबन्ध किया गया हो, टैक्सी भाड़े का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

14— लखनऊ से भिन्न अन्य जिलों में जाने की दशा में, संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट, यथासंभव, राज्य अतिथियों के परिवहन का प्रबन्ध करेगे। इसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

15— इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी मुख्य मंत्री राज्य में आने वाले किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में जो विनिर्दिष्टतः इस नियमावली के अन्तर्गत नहीं आते हों, स्वविवेक से यह आदेश दे सकते हैं कि उन्हें राज्य अतिथि माना जाय।

16— राज्य सम्पत्ति अधिकारी, यदि सरकार ऐसा चाहे, राज्य अतिथियों से भिन्न अन्य ऐसे व्यक्तियों के आवास के लिए, जो भ्रमणार्थ लखनऊ आए, शहर में प्रथम श्रेणी के होटल में प्रबन्ध भी करेंगे। ऐसी दशा में होटल का तथा अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रभार अतिथियों द्वारा देय होगा।

17— इसी प्रकार, राज्य सरकार के लखनऊ स्थित मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थानों पर जिलाधिकारी, राज्य अतिथियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों के आवास आदि के लिए, यदि सरकार ऐसा चाहें, प्रत्येक मामले में सरकार के आदेशों के अनुसार या तो सर्किट हाउस या निरीक्षण गृह में अथवा किसी होटल में प्रबन्ध करेंगे। ऐसे प्रबन्ध के सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय अतिथियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

18- (1) राज्य सरकार के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर ठहरने की दशा में राज्य सम्पत्ति अधिकारी, यथासंभव ऐसे अतिथि के लिए जिनके आवास का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में सरकार ने उन्हें निर्देश दिया हो, अपने यहां उपलब्ध कारों या अन्य उपयुक्त सवारी की व्यवस्था करेंगे। ऐसे परिवहन के उपयोग का व्यय

अतिथि द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग की कारों तथा वाहनों के उपयोग से सम्बद्ध पृथक नियमावली के अनुसार देय होगा। ऐसे मामलों में जिनमें टैक्सियों का प्रबन्ध किया जाना हो, टैक्सी भाड़े का भुगतान अतिथियों द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार के लखनऊ स्थित मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थानों पर आने की दशा में जिलाधिकारी, यथासम्भव, ऐसे अतिथियों के लिए परिवहन का प्रबन्ध करेंगे, इसका व्यय अतिथियों द्वारा वहन किया जायेगा।

19— इस नियमावली से "दी उत्तर प्रदेश स्टेट गेस्ट रूल्स 1961" का अतिक्रमण किया जाता है।

टिप्पणी— राज्य में भ्रमण करने वाले राज्य अतिथि के प्रति बरते जाने वाले शिष्टाचार का, जो एक पृथक नियमावली और अनुदेशों से विनियमित होते हैं, उक्त नियमावली तथा अनुदेशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(नवनीत सहगल)
सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल।